स्वाधीनता दिवस समारोह–2015
<u>परमावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

–:: परिपत्र::–

विषयः– स्वाधीनता दिवस समारोह–2015 के अवसर पर राज्य के **लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ी एवं तैराक** आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

आगामी **स्वाधीनता दिवस समारोह–2015** के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये जाने वाले एटहोम कार्यक्रम पर **लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ी एवं तैराक** आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जावेंगे, जिनके लिये प्रस्ताव विचारार्थ अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित विभागों द्वारा उक्त प्रकार के **प्रस्ताव दिनांक 21.07.2015 तक अपनी सिफारिश के साथ मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवा दिये जावें,** ताकि यथा समय उन पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। **इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।** प्रस्ताव भेजते हुये कृपया निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये ही प्रस्ताव भेजे जावें अन्यथा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जावेगाः–

1. प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से उनकी अनुशंषा सहित संबंधित विभाग के शासन सचिव को प्रेषित किये जावें।
2. जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव मंत्रिभण्डल सचिवालय को भिजवाया जावेगा।
3. प्रस्ताव 7 प्रतियों में प्रेषित किये जावें। विशिष्ट उपलब्धियां अधिकतम एक पृष्ठ में प्रस्ताव के साथ प्रेषित की जावें।

उक्त प्रकार के प्राप्त प्रस्तावों पर गठित समिति विचार–विमर्श कर प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने हेतु नामों की सिफारिश करेगी।

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

**समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।**

अशा0 टीप कमांकः प0 25(7)मंमं/2015
जयपुर, दिनांकः 8.6.2015

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों **(जिला कलेक्टरों सहित)** को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस प्रकार के प्रस्ताव संबंधित विभाग के शासन सचिव को प्रेषित किये जावें, तत्पश्चात विभाग द्वारा विस्तृत परीक्षण कर अपनी सिफारिश के साथ प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को भिजवाये जावेंगे। सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

लोक कलाकारों, आर्टिजन्स, विशिष्ठ व्यक्तियों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों, खिलाड़ी तैराक आदि को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में प्रपत्र

1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य):
3. घर का पूरा पताः
4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या आदि सहित)
5. जन्म तिथिः
6. अर्जित विशिष्ट उपलब्धियां का क्षेत्रः
7. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा, यदि कोई हैः
8. विभाग द्वारा अग्रेषण टिप्पणीः
9. प्रशासनिक विभाग की अनुशंषाः
10. अन्य कोई सुसंगत सूचनाः

संस्तुत करने वाले प्राधिकारी
का हस्ताक्षर मय नाम व पदनाम सहित
दिनांकः